Prabhat Khabar (Date: 24/07/2019)

मॉनसून सत्र. विधान परिषद में मंत्री ने कहा, जल्द लागू होगी सुविधा

सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी कराने पर नहीं देना होगा पैसा

➲ **फिजियोथेरेपी कराने पर अभी 50 से 70 रुपये लिये जाते हैं**

संवाददाता ▷ पटना

राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब फिजियोथेरेपी कराने के लिए मरीजों को पैसे नहीं देने होंगे. विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी. रीना देवी के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में फिजियोथेरेपी की व्यवस्था होगी. अभी इसके एवज में 50 से 70 रुपये लिये जाते हैं. अब यह पैसे नहीं देने पड़ेंगे. इसको लेकर सरकार के स्तर पर विचार किया जा रहा है. बहुत जल्द लोगों को यह सुविधा मुफ्त में मिलने लगेगी.

दो प्रतिशत कम हुआ संस्थागत प्रसव : डॉ रामचंद्र पूर्वे के सवालों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल दो माह तक चलने से संस्थागत प्रसव में दो प्रतिशत तक कमी आयी थी, लेकिन अब इसमें तेजी आ गयी है. उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है. इसलिए बच्चों की मृत्यु दर में काफी कमी आयी है.

संविदाकर्मियों को मिलेगा अनुभव प्रमाणपत्र

राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आइजीआइएमएस में संविदाकर्मियों को अनुभव प्रमाणपत्र दिया जाता है. इस मामले में परिषद के अध्यक्ष ने भी कहा कि इसे देखा जाये कि सभी को अनुभव प्रमाणपत्र मिल जाये. रजनीश कुमार के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा.

कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी

भाजपा के कृष्ण कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में दवा से लेकर कॉस्मेटिक सामान पर ब्रांडेड के नाम पर नकली सामान को खपाये जाने की नियमित जांच होती है. इस दौरान रोहतास व अन्य जगहों पर संस्थानों के लाइसेंस रद्द किये गये हैं और अधिकारियों द्वारा नकली सामान जब्त भी किये गये हैं. ऐसे कारोबारियों के खिलाफ सीधे एफआइआर की जा रही है.

बिना निबंधन के चलने वाले निजी नर्सिंग होम पर विभाग की नजर : संजीव श्याम सिंह के सवालों का जवाब देते हुए मंगल पांडे ने कहा कि बिना निबंधन के चलने वाले निजी नर्सिंग होम पर विभाग की नजर है. लेकिन, क्लिनिकल एक्ट 2010 को लेकर मामला न्यायालय में है. जहां से भी शिकायत आती है, सिविल सर्जन के माध्यम से कार्रवाई की जाती है.

योग पाठ्यक्रम शुरू करने पर राज्यपाल से करेंगे बात

पटना. राज्य के विवि में योग की पढ़ाई होगी. विधानसभा में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में जल्द ही नये राज्यपाल आ रहे हैं. उनसे विश्वविद्यालयों में योग के विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने से संबंधित मामले पर विमर्श के बाद राज्य सरकार यह निर्णय लेगी. विधानसभा में मंगलवार को इस मामले को अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राजद विधायक भोला यादव ने उठाया था. इस पर शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री के तौर पर श्रवण कुमार जवाब दे रहे. उनके जवाब पर सभी सदस्य उठकर योग को कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग करने लगे. इस पर डिप्टी सीएम ने सदस्यों को यह आश्वासन दिया. इसके बाद भोला यादव ने डिप्टी सीएम को उनकी बात का संज्ञान लेने पर धन्यवाद दिया. इससे पहले मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि विश्वविद्यालय में किसी नये कोर्स या विषय के संचालन की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार कुलाधिपति को है. राज्य सरकार सिर्फ कोर्स में सीट का निर्धारण करती है. वर्तमान में किसी विश्वविद्यालय या स्कूल में योग की पढ़ाई नहीं होती है. बिहार में सिर्फ मुंगेर में मौजूद योग अध्ययन केंद्र में ही इसकी पढ़ाई होती है. जवाब के दौरान श्रवण कुमार ने विपक्षी सदस्यों पर चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है इन पर प्रधानमंत्री जी और बाबा रामदेव का असर हो गया है. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में योग के संबंध में नियमावली बनेगी. इस पर अध्ययन के लिए दूसरे राज्यों में विभाग की टीम भेजी जा रही है. यह टीम अपनी रिपोर्ट देगी, इस पर विचार के बाद नियमावली बनेगी. इसके अनुसार राज्य में योग शिक्षकों सहित अन्य व्यवस्था की जायेगी.